उत्तर प्रदेश भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड

:पंजीकृत निर्माण कामगारों के हितार्थ "मेधावी छात्र पुरस्कार योजना" :

बोर्ड अधिसूचना संख्या- 2463-2593/अ0नि0-2011, दिनांक 13.05.2011 द्वारा अधिसूचित।

1. योजना का नाम :- "मेधावी छात्र पुरस्कार योजना"

2. योजना का उद्देश्य :-

इस योजना का मूल उद्देश्य भवन एवं अन्य सन्निर्माण प्रक्रियाओं में कार्यरत लाभार्थी श्रमिकों के मेधावी बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करना एवं उन्हें उच्च एवं व्यवसायिक शिक्षा के लिये प्रेरित करते हुये शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना है।

3. पात्रता :-

इस योजना के लिए वे सभी कर्मकार पात्र होंगे जो भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवाशर्तें विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा-12 के अन्तर्गत लाभार्थी के रूप में पंजीकृत हैं तथा उनके पुत्र एवं पुत्रियों ने कक्षा 05 से 08 तक की परीक्षा 70 प्रतिशत या उससे अधिक अंको तथा कक्षा 09 से 12 तक एवम् उससे उच्च शिक्षा व तकनीकी शिक्षा की परीक्षाएं 60 प्रतिशत या उससे अधिक अंको (नई शिक्षा प्रणाली के अन्तर्गत अंकित प्रतिशत के सापेक्ष प्रभावी ग्रेडिंग प्रणाली) के साथ उत्तीर्ण की हो तथा सम्बन्धित पुत्र या पुत्री द्वारा आगे की शिक्षा भी जारी रखी गई हो। इस योजना के अन्तर्गत वह छात्र/छात्रा भी पात्र होंगे जो आई0टी0आई0 से व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहें हो अथवा शासकीय इन्जीनियरिंग कालेजों से इन्जीनियरिंग की शिक्षा ग्रहण कर रहे हों अथवा सरकारी मेडिकल कालेज में पढ़ाई कर रहे हों। यह स्पष्ट किया जा रहा है कि कक्षा-8 तक के पात्र पुत्र/पुत्रियों को पुरस्कार की धनराशि अनिवार्य रूप से अगली उच्च कक्षा में शिक्षारत् होने की स्थिति में ही अनुमन्य होगी। आई0टी0आई0 एवं इन्जीनियरिंग के अन्तर्गत सभी पाठ्यक्रमों तथा चिकित्सा में एम0बी0बी0एस0, बी0डी0एस0, बी0ए0एम0एस0 तथा बी0एच0एम0एस0 के पाठ्यक्रम सम्मिलित होंगे।

परन्तु यह कि यदि संबंधित छात्र/छात्रा ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस उद्देश्य से चलायी गयी किसी अन्य योजना में लाभ प्राप्त किया हो, तो उसे यह हितलाभ देय नही होगा। आवेदन के समय आवेदनकर्ता को इस आशय का प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

4. हितलाभ :-

योजना के अन्तर्गत लाभार्थी कर्मकारों के पुत्र या पुत्री द्वारा विभिन्न स्तरों की परीक्षा में निम्न विवरण के अनुसार या उससे अधिक अंक पाने की स्थिति में प्रतिवर्ष उल्लिखित धनराशि एकमुश्त निम्न विवरण के अनुसार देय होगी :-

कक्षा	प्राप्तांक पात्रता का प्रतिशत	देय हितलाभ पुत्र की दशा में		देय हितलाभ पुत्री की दशा में	
		प्रथम किस्त	द्वितीय किस्त	प्रथम किस्त	द्वितीय किस्त
कक्षा-5	70	रू0 2000/-	रू0 2000/-	रू0 2000/-	रू0 2500/-
कक्षा-6	70	रू0 2000/-	रू0 2000/-	रू0 2000/-	रू0 2500/-
कक्षा-7	70	रू0 2000/-	रू0 2000/	रू0 2000/-	रू0 2500/-
कक्षा-8	70	रू0 2500/-	रू0 2500/-	रू0 2500/-	रू0 3000/-
कक्षा-9 ★	60	रू0 2000/-	रू0 3000/-	रू0 2000/-	रू0 3500/-
कक्षा-10	60	रू0 2000/-	रू0 3000/-	रू0 2000/-	रू0 3500/-
आई0टी0आई0 (व्यवसायिक प्रशिक्षण)	60	रू0 4000/-	रू0 4000/-	रू0 5000/-	रू0 5000/-
कक्षा-11 ★	60	रू0 4000/-	रू0 4000/-	रू0 5000/-	रू0 5000/-
कक्षा-12	60	रू0 4000/-	रू0 4000/-	रू0 5000/-	रू0 5000/-
बी0ए0/बी0काम0/ बी0एस0सी0	60	रू0 5000/-	रू0 5000/-	रू0 6000/-	रू0 6000/-
एम0ए0/एम0काम0 /एम0एस0सी0	60	रू0 6000/-	रू0 6000/-	रू0 6000/-	रू0 7000/-
एल0एल0बी0	60	रू0 6000/-	रू0 6000/-	रू0 6000/-	रू0 7000/-
पालीटेकनिक से डिप्लोमा	राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा के उपरान्त प्रवेश लेने पर	रू0 5000/- प्रतिवर्ष	रू0 5000/- प्रतिवर्ष	रू0 6000/- प्रतिवर्ष	रू0 6000/- प्रतिवर्ष
इन्जीनियरिंग की डिग्री	राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा के उपरान्त प्रवेश लेने पर	रू0 10000/- प्रतिवर्ष	रू0 10000/- प्रतिवर्ष	रू0 10000/- प्रतिवर्ष	रू0 12000/- प्रतिवर्ष
चिकित्सा की डिग्री	राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा के उपरान्त प्रवेश लेने पर	रू0 10000/- प्रतिवर्ष	रू0 10000/- प्रतिवर्ष	रू0 10000/- प्रतिवर्ष	रू0 12000/- प्रतिवर्ष

5. देय हितलाभ के सम्बन्ध में सामान्य निर्देश :-

(अ) समस्त प्रकार के देय हितलाभ दो किश्तों में दिये जाएगें। प्रथम किश्त कक्षा में प्रवेश के उपरान्त देय होगी तथा दूसरी किश्त उस कक्षा में उत्तीर्ण होने के उपरान्त दी जाएगी।

(ब) यदि छात्र/छात्रा को प्रथम किश्त भुगतान कर दी जाती है और वह कक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो द्वितीय किश्त का भुगतान नहीं किया जाएगा।

(स) आई0टी0आई0/इन्जीनियरिंग की डिग्री के उन्हीं छात्र/छात्राओं को यह हितलाभ अनुमन्य होंगे जो उत्तर प्रदेश के शासकीय आई0टी0आई अथवा इन्जीनियरिंग कालेजों में प्रवेश प्राप्त करेगें। प्रमाण स्वरूप प्रवेश-कार्ड तथा शुल्क की रसीद अवश्य संलग्न की जाएगी।

(द) व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में पात्रता तभी मान्य होगी जब अभ्यर्थी ने राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर प्रवेश लिया हो।

और यह भी कि उपर्युक्त पैरा में अंकित हितलाभ आई0टी0आई0 तथा इन्जीनियरिंग के सभी विधाओं के लिए देय होंगे।

(य) इस योजना के अन्तर्गत चिकित्सा में डिग्री का अर्थ होगा- एम0बी0बी0एस0 अथवा बी0डी0एस0 (बैचलर इन डेन्टल सांइस) अथवा बी0ए0एम0एस0 अथवा बी0एच0एम0एस। यह हितलाभ उन्हीं छात्र/छात्राओं को देय होगा जो उत्तर प्रदेश के सरकारी चिकित्सा कालेजों में अध्ययनरत् होंगे।

(र) प्रत्येक जिले के लिए तथा प्रत्येक कक्षा अथवा विधा के लिए यह हितलाभ अनुमन्य किये जाने वाले अधिकतम छात्र/छात्राओं की संख्या प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाएगी। लाभार्थी संख्या निर्धारण के समय अन्य तथ्यों के साथ साथ जिले में निर्माण श्रमिकों के पंजीयन को भी संज्ञान में लिया जायेगा और जिले में पंजीकृत लाभार्थी तथा देय हितलाभ की संख्या में समानुपात यथासम्भव रखा जायेगा।

(ल) सामान्यतः सभी प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर प्राप्तांको के अवरोही क्रम में एक सूची तैयार की जाएगी और जिले के लिए उस कक्षा हेतु निर्धारित छात्र/छात्रा संख्या की गिनती ऊपर से नीचे करते हुए पूरी की जाएगी। अर्थात्

सर्वाधिक प्राप्तांक वाले छात्र से प्रारम्भ कर उस छात्र पर समाप्त की जाएगी, जिस पर छात्र/छात्रा संख्या पूर्ण होती हो।

(ब) इस प्रकार उपर्युक्त सारणी में अंकित प्राप्तांक का प्रतिशत न्यूनतम माना जाएगा। इससे नीचे के प्रतिशत वाले छात्र/छात्रा अर्ह नहीं होंगे भले ही जिले के लिए निर्धारित छात्र संख्या से कम के छात्र उपर्युक्त सूची में आवर्त हो।

(श) जहाँ अन्तिम कट आफ मार्क के प्रतिशत पर एक से अधिक छात्रों की संख्या उपलब्ध हो जाए और यदि उन्हें हितलाभ दिया जाता है तो जिले हेतु निश्चित छात्र संख्या से अधिक हो जाए, ऐसी स्थिति में अतिरिक्त छात्रों पर निर्णय हेतु कारण सहित प्रतिवेदन बोर्ड को किया जाएगा। बोर्ड उक्त पर विचार कर पूर्व निर्धारित द्वारा संख्या में किसी भी प्रकार की वृद्धि अथवा कमी करने में सक्षम होगा।

(ष) यहाँ यह भी स्पष्ट किया जा रहा है कि जो पाठ्यक्रम जितने वर्षों का होगा, यह पुरस्कार धनराशि इस शर्त के अधीन प्रत्येक वर्ष प्रदान की जायेगी कि छात्र/छात्रा लगातार निर्धारित प्राप्तांक के साथ कक्षा उत्तीर्ण करते रहें।

6. आवेदन प्रक्रिया :-

(1) लाभार्थी या उसके परिवार के किसी सदस्य की ओर से उक्त सहायता प्राप्त करने हेतु लाभार्थी के पुत्र या पुत्री के सम्बन्धित कक्षा में उपरोक्त विवरण के अनुसार या उससे अधिक अंको से उत्तीर्ण होने की तिथि से 02 माह के अंदर निकटतम श्रम कार्यालय अथवा सम्बन्धित तहसील के तहसीलदार कार्यालय अथवा सम्बन्धित खण्ड विकास के खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय में निर्धारित प्रपत्र पर सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाचार्य से अभिप्रमाणित फोटोयुक्त आवेदन पत्र दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाएगा, जिसकी पावती आवेदक को प्रार्थना प्राप्त करने वाले अधिकारी/कर्मचारी द्वारा प्राप्ति तिथि अंकित करते हुए उपलब्ध करवाई जायेगी।

(2) आवेदन पत्र के साथ सम्बन्धित पुत्र या पुत्री के सम्बन्धित कक्षा में उत्तीर्ण होने की अंकतालिका की प्रमाणित प्रति सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाचार्य के प्रमाण-पत्र के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा। मान्यता प्राप्त विद्यालयों से उत्तीर्ण कक्षा 05 व 08 के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ही स्वीकार किये जायेंगे।

(3) आवेदन पत्र के साथ सम्बन्धित पुत्र या पुत्री के आगे भी शिक्षारत रहने का प्रमाण पत्र जो कि सम्बन्धित विद्यालय द्वारा निर्गत तथा प्रधानाचार्य द्वारा अभिप्रमाणित हो, मूल रूप में संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।

(4) सामान्यतः मेधावी छात्र/छात्राओं से उपरोक्त संलग्नकों सहित प्रार्थना-पत्र एक जुलाई से 31 दिसम्बर की अवधि में प्रत्येक वर्ष प्राप्त किये जायेंगे। ★[1] उक्त अवधि के उपरान्त प्राप्त आवेदन पत्रों के संबध में उपयुक्त कारण पाए जाने पर सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा विचार किया जा सकता है, किन्तु छः माह के पश्चात् प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। ★[2]

(5) जहाँ आवेदन आई0टी0आई0 अथवा इन्जीनियरिंग डिग्री अथवा चिकित्सा में डिग्री के लिये किया जा रहा हो वहाँ प्रवेश के प्रमाण स्वरूप सम्बन्धित सरकारी कालेज/आई0टी0आई0 में प्रवेश की रसीद की प्रमाणित छायाप्रति भी संलग्न की जाएगी।

7. हितलाभ की स्वीकृति हेतु प्रक्रिया, भुगतान की प्रक्रिया तथा सूचना का रख-रखाव एवं प्रेषण की प्रक्रिया :-

(1) योजना के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्र यदि जिला श्रम कार्यालय से इतर तहसील/खण्ड विकास खण्ड कार्यालय अथवा किसी तहसील में स्थित श्रम प्रवर्तन अधिकारी कार्यालय में प्राप्त होते हैं, तो उन्हें प्राप्त होने की तिथि से 07 दिन के अन्दर प्रत्येक दशा में जिला श्रम कार्यालय में प्राप्त करवा दिया जायेगा।

(2) जिला श्रम कार्यालय में इस प्रकार प्राप्त सभी आवेदन पत्रों को सूचीबद्ध करते हुए, पत्रावली पर पूर्ण विवरण अंकित करते हुए, जिलाधिकारी के समक्ष प्रार्थनापत्र प्राप्त होने की तिथि से 10 कार्य दिवस के अन्दर उनके आदेशार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।

(3) जिलाधिकारी द्वारा ऐसे प्राप्त सभी आवेदन पत्रों पर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न अभिप्रमाणित अभिलेखों से संतुष्ट होने की स्थिति में योजनानुसार अनुमन्य धनराशि की स्वीकृति के आदेश पत्रावली पर किये जायेंगे। जिलाधिकारी यदि ऐसा आवश्यक/वांछनीय प्रतीत करें, तो प्रार्थना पत्र में अल्लिखित तथ्यों की स्थलीय जॉच के आदेश भी जिला श्रम कार्यालय के

माध्यम से कर सकते है अथवा जिलाधिकारी एक संयुक्त जॉच टीम गठित करते हुए समयबद्व स्थलीय जॉच करवा सकते हैं। स्वीकृति सम्बन्धी यह कार्यवाही यथासम्भव पत्रावली प्रस्तुत होने के 15 दिन के अन्दर पूर्ण कर ली जाए।

(4) आवेदन पत्र स्वीकृत/अस्वीकृत होने की जैसी भी स्थिति होगी, उसकी सूचना आवेदक को उपलब्ध कराई जाएगी।

(5) जिलाधिकारी से आवेदन पत्र स्वीकृत होने की स्थिति में यथासम्भव 15 दिन के भीतर जिला श्रम कार्यालय के प्रभारी अधिकारी द्वारा प्रभारी सहायक श्रमायुक्त के माध्यम से स्वीकृति प्राप्त पत्रावली पूर्ण विवरण सहित क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी। क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त द्वारा इस प्रकार जिलाधिकारी से स्वीकृति प्राप्त पत्रावली उनके कार्यालय में प्राप्त होने की तिथि से विलम्बतम 10 दिन के भीतर, सम्बन्धित निर्माण श्रमिक के नाम से रेखांकित चेक स्वीकृत धनराशि के भुगतान हेतु निर्गत किया जाएगा, जिसमें लाभार्थी के बैंक खाते का नम्बर, शाखा इत्यादि का भी स्पष्ट विवरण अंकित किया जाएगा। इस प्रकार निर्गत चेक सम्बन्धित जिला श्रम कार्यालय के प्रभारी अधिकारी के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। बोर्ड का आगामी 06 माह में यह प्रयास होगा कि सम्बन्धित श्रमिक के बैंक खाते में सीधे ट्रान्सफर के माध्यम से धनराशि भेजी जाए परन्तु जब तक यह व्यवस्था प्रभावी नहीं हो जाती है, तब तक इस प्रस्तर में उल्लिखित पूर्व निर्देश के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

(6) इस प्रकार जिला श्रम कार्यालय में प्राप्त रेखांकित चेक जिलाधिकारी के संज्ञान में लाते हुये लाभार्थी को 10 दिन के भीतर उपलब्ध करा दिया जाएगा और उससे प्राप्त रसीद दो प्रतियों में प्राप्त की जाएगी। प्राप्ति रसीद की एक प्रति जिला श्रम कार्यालय में तथा दूसरी प्रति क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त कार्यालय में अभिलेखार्थ संरक्षित की जाएगी।

(7) इस समग्र कार्यवाही में जिला श्रम कार्यालय द्वारा नोडल एजेंसी के रूप में कार्य किया जायेगा। योजनावार तथा लाभार्थीवार विवरण निर्धारित पंजिका में जिला श्रम कार्यालय के साथ-साथ क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त कार्यालय में संरक्षित रखे जायेंगें। क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त कार्यालय द्वारा योजनावार, लाभार्थीवार तथा जिलेवार पूर्ण विवरण निर्धारित प्रपत्रों पर मासिक आधार पर

संकलित करते हुये उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के कार्यालय में मास की समाप्ति के उपरान्त अगले 07 दिन के अंदर उपलब्ध करवायें जायेंगे।

नोटः- ★[1] उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की अधिसूचना संख्या : 382-88/भ0नि0बो0(58)-2013, दिनांक 25.06.2013 द्वारा संशोधित।

★[2] उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा जारी दिशा-निर्देश, पत्र संख्याः 7409-7500/भ0नि0बो0(95)-2013, दिनांक16.09.2011 द्वारा विलम्बित प्रार्थना पत्र योजनाओं में उल्लिखित सीमाओं के अन्तर्गत विलम्बमोचन के अधिकार समस्त जिलाधिकारियों को प्रतिनिधायित किये गये है।

-: अधिसूचना :-

उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा पंजीकृत निर्माण कर्मकारों के हितार्थ निर्माण कर्मकार मेधावी छात्र पुरस्कार योजना की स्वीकृति तथा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा उनके आदेश संख्या 1472/36-2-11, दिनांक 31-01-2011 के क्रम में एतद् द्वारा निर्माण कर्मकार मेधावी छात्र पुरस्कार योजना अधिसूचित की जाती है। अतएव उक्त योजना तत्काल प्रभाव से सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में प्रवर्तित व लागू की जाती है।

(सीता राम मीना)
सचिव।

कार्यालय भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, उ0प्र0, कानपुर।

पत्रांक 2463-2593/भवन निर्माण-2011 दिनांक 13 मई, 2011

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त अपर/उप/सहायक श्रमायुक्त व अपर/उप/सहायक कल्याण आयुक्त (पदेन)उपर्युक्त के साथ साथ सम्यक प्रचार एवं प्रसार हेतु।
4. अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड।
5. गार्ड फाइल हेतु।

(पंकज कुमार)
अपर सचिव।

हितलाभ :–

योजना के अन्तर्गत लाभार्थी कर्मकारों के पुत्र या पुत्री द्वारा विभिन्न स्तरों की परीक्षा में निम्न विवरण के अनुसार या उससे अधिक अंक पाने की स्थिति में प्रतिवर्ष उल्लिखित धनराशि एकमुश्त निम्न विवरण के अनुसार देय होगी :–

कक्षा	प्राप्तांक पात्रता का प्रतिशत	देय हितलाभ पुत्र की दशा में		देय हितलाभ पुत्री की दशा में	
		प्रथम किस्त	द्वितीय किस्त	प्रथम किस्त	द्वितीय किस्त
कक्षा–5	70	रू0 2000/–	रू0 2000/–	रू0 2000/–	रू0 2500/–
कक्षा–6	70	रू0 2000/–	रू0 2000/–	रू0 2000/–	रू0 2500/–
कक्षा–7	70	रू0 2000/–	रू0 2000/–	रू0 2000/–	रू0 2500/–
कक्षा–8	70	रू0 2500/–	रू0 2500/–	रू0 2500/–	रू0 3000/–
कक्षा–9	60	रू0 2000/–	रू0 3000/–	रू0 2000/–	रू0 3500/–
कक्षा–10	60	रू0 2000/–	रू0 3000/–	रू0 2000/–	रू0 3500/–
आई0टी0आई0 (व्यवसायिक प्रशिक्षण)	60	रू0 4000/–	रू0 4000/–	रू0 5000/–	रू0 5000/–
कक्षा–11	60	रू0 4000/–	रू0 4000/–	रू0 5000/–	रू0 5000/–
कक्षा–12	60	रू0 4000/–	रू0 4000/–	रू0 5000/–	रू0 5000/–
बी0ए0/बी0काम0/बी0एस0सी0	60	रू0 5000/–	रू0 5000/–	रू0 6000/–	रू0 6000/–
एम0ए0/एम0काम0/एम0एस0सी0	60	रू0 6000/–	रू0 6000/–	रू0 6000/–	रू0 7000/–
एल0एल0बी0	60	रू0 6000/–	रू0 6000/–	रू0 6000/–	रू0 7000/–
पालीटेकनिक से डिप्लोमा	राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा के उपरान्त प्रवेश लेने पर	रू0 5000/– प्रतिवर्ष	रू0 5000/– प्रतिवर्ष	रू0 6000/– प्रतिवर्ष	रू0 6000/– प्रतिवर्ष
इन्जीनियरिंग की डिग्री	राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा के उपरान्त प्रवेश लेने पर	रू0 10000/– प्रतिवर्ष	रू0 10000/– प्रतिवर्ष	रू0 10000/– प्रतिवर्ष	रू0 12000/– प्रतिवर्ष
चिकित्सा की डिग्री	राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा के उपरान्त प्रवेश लेने पर	रू0 10000/– प्रतिवर्ष	रू0 10000/– प्रतिवर्ष	रू0 10000/– प्रतिवर्ष	रू0 12000/– प्रतिवर्ष

:: अधिसूचना ::

उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा अधिसूचना संख्या 2463–2593/भ0नि0बो0–11, दिनांक 13.05.2011 के माध्यम से मेधावी छात्र पुरस्कार योजना अधिसूचित की गयी थी।

तत्क्रम में शासन द्वारा प्रस्तावित संशोधनों पर अनापत्ति संख्या– 1527/छत्तीस–2–12–251 (एस0एम0)/95टी0सी0–111 दिनांक 11.06.2013 के क्रम में पंजीकृत श्रमिकों के हितार्थ चलायी जाने वाली मेधावी छात्र पुरस्कार योजना के अन्तर्गत निम्न संशोधन किये गये है :–

1. योजना के प्रस्तर–4, हितलाभ की सारणी में कक्षा – 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एवं आगे की कक्षा का हितलाभ संलग्न सारणी के अनुसार किया जायेगा।
2. योजना के प्रस्तर–6(4), आवेदन की प्रक्रिया में सामान्यतः मेधावी छात्र/छात्राओं से उपरोक्त संलग्नकों सहित प्रार्थना–पत्र 01 जुलाई से 31 दिसम्बर की अवधि में प्रत्येक वर्ष प्राप्त किये जायेंगे।
3. योजना के अन्तर्गत उक्त संशोधित लाभ संशोधन की अधिसूचना जारी किये जाने की तिथि से लागू होगें। पूर्व में प्राप्त आवेदनों पत्रों पर उपरोक्त संशोधन कदापि लागू नहीं होगे।

तदनुसार संशोधित योजना के अनुसार भविष्य में कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः– यथोक्त।

d/c (डॉ0 गुरदीप सिंह)
सचिव, बोर्ड।

कार्यालय उ0प्र0 भवन एंव अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, उ0प्र0, कानपुर।

पंत्राक – 382-88 /भ0नि0बो0( )–2013, दिनांक– 25.6 ,2013

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त अपर/उप/सहायक श्रमायुक्त व अपर/उप/सहायक कल्याण आयुक्त (पदेन)उपर्युक्त के साथ–साथ सम्यक् प्रचार एवं प्रसार हेतु।
4. अपर श्रमायुक्त, उ0प्र0 (कम्प्यूटर प्रकोष्ठ) को इस अनुरोध के साथ कि कृपया सभी क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालयों को ई–मेल से प्रेषित करते हुये बेवसाइट पर भी अपलोड कराने का कष्ट करें।
5. अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, लखनऊ।
6. गार्ड फाइल हेतु।
7. श्रम अनुभाग–2 को उनकी अनापत्ति संख्या– 1527/छत्तीस–2–12–251(एस0एम0)/95 टी0सी0–111, दिनांक 11.06.2013 के क्रम में सूचनार्थ।

o/c (माला श्रीवास्तव)
अपर सचिव, बोर्ड।

(20)

अधिसूचना

उ0प्र0 प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा अधिसूचना संख्या–2463–2593 / ग0नि0बो0–2011 दिनांक 13.05.2011 के माध्यम से मेधावी छात्र पुरस्कार योजना अधिसूचित हो गयी है। तत्क्रम में प्रस्तावित संशोधनों पर शासन द्वारा प्राप्त अनापत्ति संख्या–17 / 2015 / 1520 / छत्तीस–2–2015–251(S.M.) / 95 T.C.III दिनांक 28.12.2015 के क्रम में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के हितार्थ चलायी जाने वाली "मेधावी छात्र पुरस्कार योजना" में निम्नवत् संशोधन अधिसूचित किये जाते है–

1. **प्रस्तर–3 पात्रता** :– इस योजना के लिए वे सभी कर्मकार पात्र होंगे जो भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा–12 के अन्तर्गत लाभार्थी श्रमिक के रूप में पंजीकृत हैं तथा उनके पुत्र एवं पुत्रियों ने कक्षा 05, 06, 07, 08, 10 एवं 12 की परीक्षा क्रमशः 55, 55, 55, 55, 50 तथा 50 प्रतिशत या उससे अधिक अंको (नई शिक्षा प्रणाली के अन्तर्गत अंकित प्रतिशत के सापेक्ष प्रभावी ग्रेडिंग प्रणाली) के साथ उत्तीर्ण की हो तथा संबंधित पुत्र या पुत्री द्वारा आगे की शिक्षा भी जारी रखी गई हो। इस योजना के अन्तर्गत वह छात्र / छात्रा भी पात्र होगें जो आई0टी0आई0 से व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हों अथवा शासकीय इन्जीनियरिंग कालेजों से इन्जीनियरिंग की शिक्षा ग्रहण कर रहें हो। यह स्पष्ट किया जा रहा है कि कक्षा–8 तक के पात्र पुत्र / पुत्रियों को पुरस्कार की धनराशि अनिवार्य रूप से अगली उच्च कक्षा में शिक्षारत् होने की स्थिति में ही अनुमन्य होगी। आई0टी0आई0 एवं इन्जीनियरिंग के अन्तर्गत सभी पाठ्यक्रमों तथा चिकित्सा में एम.बी0बी0एस0, बी0डी0एस0, बी0ए0एम0एस0 तथा बी0एच0एम0एस0 के पाठ्यक्रम सम्मिलित होगें।

परन्तु यह कि यदि संबंधित छात्र / छात्रा ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस उद्देश्य से चलाई गई किसी अन्य योजना में लाभ प्राप्त हुआ हो, तो उसे यह हितलाभ देय नहीं होगा। आवेदन के समय आवेदनकर्ता को इस आशय का प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

2. **प्रस्तर–4 हितलाभः**– योजना के अंतर्गत लाभार्थी कर्मकारों के पुत्र या पुत्री द्वारा विभिन्न स्तरों की परीक्षा में निम्न विवरण के अनुसार या उससे अधिक अंक पाने की स्थिति में प्रतिवर्ष उल्लिखित धनराशि एकमुश्त निम्न विवरण के अनुसार देय होगी :–

कक्षा	प्राप्तांक / पात्रता का प्रतिशत	देय हितलाभ पुत्र की दशा में		देय हितलाभ पुत्री की दशा में	
		प्रथम किश्त	द्वितीय किश्त	प्रथम किश्त	द्वितीय किश्त
कक्षा–5	55	रू0 2000/–	रू0 2000/–	रू0 2000/–	रू0 2500/–
कक्षा–6	55	रू0 2000/–	रू0 2000/–	रू0 2000/–	रू0 2500/–
कक्षा–7	55	रू0 2000/–	रू0 2000/–	रू0 2000/–	रू0 2500/–
कक्षा–8	55	रू0 2500/–	रू0 2000/–	रू0 2500/–	रू0 3000/–
कक्षा–10	50	रू0 2000/–	रू0 3000/–	रू0 2000/–	रू0 3500/–
आई0टी0आई0 (व्यवसायिक प्रशिक्षण)	60	रू0 4000/–	रू0 4000/–	रू0 5000/–	रू0 5000/–
कक्षा–12 बी ग्रेड या समकक्ष प्राप्तांक	50	रू0 5000/–	रू0 5000/–	रू0 6000/–	रू0 6000/–
बी0ए0/बी0काम0/ बी0एस0सी0	60	रू0 6000/–	रू0 6000/–	रू0 6000/–	रू0 6000/–
एल0एल0बी0	60	रू0 6000/–	रू0 6000/–	रू0 6000/–	रू0 7000/–
पालीटेकनिक से डिप्लोमा	राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा के उपरान्त प्रवेश लेने पर	रू0 5000/– प्रतिवर्ष	रू0 5000/– प्रतिवर्ष	रू0 6000/– प्रतिवर्ष	रू0 6000/– प्रतिवर्ष
इन्जीनियरिंग की डिग्री	राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा के उपरान्त प्रवेश लेने पर	रू0 10,000/– प्रतिवर्ष	रू0 10,000/– प्रतिवर्ष	रू0 10,000/– प्रतिवर्ष	रू0 12,000/– प्रतिवर्ष
चिकित्सा की डिग्री	राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा के उपरान्त प्रवेश लेने पर	रू0 10,000/– प्रतिवर्ष	रू0 10,000/– प्रतिवर्ष	रू0 10,000/– प्रतिवर्ष	रू0 12,000/– प्रतिवर्ष

तद्नुसार संशोधित योजना के अनुसार भविष्य में कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

(बी0जे0 सिंह)
सचिव, बोर्ड।

कार्यालय उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः– 6146-573/भ0नि0बो0(582)/15 दिनांकः– 11.1.16

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त अपर/उप/सहायक श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. वित्त नियंत्रक, बोर्ड।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त [redacted], उत्तर प्रदेश।
5. श्रमायुक्त, उ0प्र0, जी0टी0 रोड, कानपुर।
6. प्रमुख सचिव (श्रम)/अध्यक्ष, बोर्ड।
7. गार्ड फाइल।
8. श्रम अनुभाग–2 के उनकी अनापत्ति संख्या–17/2015/1520/छत्तीस–2–2015–251 (S.M.)/95 T.C.III दिनांक 28.12.2015 के क्रम में सूचनार्थ।

11.1.16

(आर0पी0 गुप्ता)
अपर सचिव, बोर्ड।